राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1676/2016	सुदर्शन तिवाड़ी	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. राजस्व मण्डल, अजमेर, उप रजिस्ट्रार, अजमेर। 3. संभागीय आयुक्त, भरतपुर, राज.। 4. जिला कलक्टर, भरतपुर, राज.।
2.	1145/2016	संपतराम	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, सचिवालय, जयपुर। 2. राजस्व मण्डल, अजमेर, उप रजिस्ट्रार, अजमेर। 3. संभागीय आयुक्त, जयपुर, राज.। 4. जिला कलक्टर, अलवर, राज.।
3.	1144/2016	निजामुद्दीन	

आदेश की दिनांक : 28.07.2023

उपस्थित –

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री राकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में उपरोक्त तीनों अपीले समान प्रकृति की होने के कारण, इनके तथ्य विवाद बिन्दु समान होने के कारण इन्हें इस एकल आदेश से निर्णित किया जा रहा है।
2. अपीलार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस प्रार्थना पत्र द्वारा यह आग्रह किया कि अपीलार्थीगण का मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होकर असाधारण है। हमने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो एव अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर मनन किया हम यह पाते है कि अपीलार्थीगण का मामला अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का है। अतः बिना वैकल्पिक उपचार का उपयोग करने के सीधे ही अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
3. उपरोक्त वर्णित समस्त अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः समस्त अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1676/2016 सुदर्शन तिवाड़ी बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, (राजस्व विभाग) के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं। अपील संख्या 1676/2016 कि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर दिनांक 25.05.1979 को हुई थी। अपीलार्थी की सेवाएं राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 (जिन्हें आगे संक्षेप में नियम 1957

कहकर सम्बोधित किया जायेगा) के अधीन आती है एवं इन नियमों के अनुसार पटवारी से प्रथम पदोन्नति भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर होती है।

4. वर्ष 1995 से पूर्व पटवारियों की वरिष्ठता सूची राज्य स्तर पर निर्धारित की जाती थी, बाद में नियमों में संशोधन होने पर यह जिला स्तर पर निर्धारित की जाती है। नियम 1957 के नियम 301 के उप नियम (1) के अधीन भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है एवं नियम 284 के तहत जिला स्तर पर बनाई गई वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति हेतु सम्भागीय आयुक्त के स्तर पर पटवारियों की इन्टरसी वरिष्ठता सूची निर्धारित की जानी चाहिए।

5. अपीलार्थी का कथन है कि जहां तक भरतपुर सम्भाग से सम्बन्ध है अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरुद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचारण मे लिया गया लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक निर्धारित समय पर नहीं होने के कारण पदोन्नति आदेश दिनांक 09.01.2013 (प्रदर्श–1) जारी किये गये जिसमे अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 03.05.2013 को पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण किया है।

6. अपीलार्थी का कथन है कि दिनांक 25.05.2006 को भू अभिलेख निरीक्षकों की दिनांक 01.04.2013 की स्थिति की राज्य स्तरीय पारस्परिक अस्थायी (प्रोविजनल) वरियता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं है। जबकि संभागीय आयुक्त, संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 09.01.2013 के द्वारा वर्ष 2012–13 की भू अभिलेख निरीक्षकों के रिक्त पदों के विपरीत चयन कर अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुआ है। इसलिए अपीलार्थी को दिनांक 01.04.2012 से पदोन्नत मानते हुए वरिष्ठता सूची में शामिल किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध यदि देरी से विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई, इसमें अपीलार्थी का दोष नहीं है। अपीलार्थी को वर्ष 2012–13 आवंटित किया गया था। उसकी पदोन्नति दिनांक 01.04.2012 से मानी जानी चाहिए और उसी तिथि से अपीलार्थी को वरिष्ठता एवं समस्त लाभ प्रदान किये जाने चाहिए।

7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि भरतपुर सम्भाग भरतपुर में पटवारियों से भू अभिलेख निरीक्षक के पदों की डीपीसी वर्ष 2012–2013 की बैठक दिनांक 9–1–2013 को आयोजित की गई। पदोन्नति आदेश दिनांक 9–1–2013 को जारी हुआ जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या–31 नम्बर पर है। पदोन्नति एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें

पदोन्नति कार्मिकों का सेवा अभिलेख आदि देखा जाता है। जिसमें समय लगना स्वाभाविक है। सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर के आदेश क्रमांक–8 दिनांक 9–1–2013 एवं 282 दिनांक 15–3–2013 की अनुपालना में अपीलार्थी को जिला कलेक्टर, भरतपुर के आदेश क्रमांक एल.आर./स्था./06/12/24 दिनांक 16–4–2013 द्वारा ऑफिस कानूनगो तहसील कामॉ के पद पर पदस्थापित किया गया। जिला कलेक्टर, भरतपुर के पदस्थान आदेश क्रमांक–24 दिनांक 16–4–2013 में आंशिक संशोधित करते हुए नवीन पदस्थापन आदेश क्रमांक–28 दिनांक 24–4–2013 द्वारा नव पदस्थापन, भू अभिलेख निरीक्षक अपीलार्थी को ऑफिस कानूनगो तहसील कामॉ के स्थान भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कस्बा वैर के पद पर पदस्थापित किया गया। यह भी अंकित किया गया है कि नियम 171 (क) (2) भू अभिलेख निरीक्षकों की वरिष्ठता उनके भू–अभिलेख विभाग में निरीक्षक के पद पर और अथवा बन्दोबस्त विभाग में इंस्पेक्टर भू–एककीकरण (Consolidation) विभाग में उप निवेशन (Colonisation) विभाग के निरीक्षक के पद पर या किसी अन्य समकक्ष पर निरन्तर कार्यवाहक रूप से कार्य करने की तारीख से तय की जायेगी। बशर्ते के ऐसा कार्यवाहक (स्थानापन्न) काम (Offication) आकस्मिक (Fortuitous) या तदर्थ किस्म का न हो और वे इस शर्त के अधीन होगा कि उनके पास गिरदावर कानूनगो की परीक्षा पास करने का डिप्लोमा हो। याचिकाकर्ता ने दिनांक 3–5–2013 को भू अभिलेख के पद पर कार्यग्रहण किया है। अतः वरिष्ठता का निर्धारण लैण्ड रिकार्ड रूल्स नियम 171 (क) (2) कार्यग्रहण करने की दिनांक से निर्धारण की गई है।

8. दोनों पक्षों को हमारे द्वारा सुना गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि पूर्व में नियमित वर्ष पदोन्नति वर्ष 2012–13 के विरूद्ध पदोन्नति देरी से प्रदान की गई, जो डीपीसी देरी से होने के कारण अपीलार्थी ने पदोन्नति पद पर बाद में कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी की पदोन्नति की गणना उसके पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से की जा रही है, जबकि उसकी पदोन्नति एवं अनुभव की गणना दिनांक 01.04.2012 से की जानी चाहिए थी और उसी हिसाब से अपीलार्थी को वरिष्ठता प्रदान की जानी चाहिए थी।

9. बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से इस अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रकरण संख्या 120/2014 रोहिताश यादव बनाम राजस्व मण्डल, अजमेर की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें अधिकरण ने अपीलार्थी की पदोन्नति 1 अप्रैल से मानते हुए उसके अनुभव की गणना और उसी अनुरूप

यथोचित स्थान पर उसका नाम भू अभिलेख निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में अंकित करने के निर्देश दिये हैं।

10. अपीलार्थी का मामला इस अधिकरण द्वारा पूर्व में निर्धारित अपील संख्या 120/2014 रोहिताश यादव बनाम राजस्व मण्डल, अजमेर में पारित आदेश दिनांक 07.05.2014 इस प्रकरण से भिन्न नहीं है। हमारे मत में अपीलार्थी श्री सुदर्शन तिवाड़ी एवं श्री संपतराम को वर्ष 2012–13 और अपीलार्थी निजामुद्दीन को वर्ष 2010–11 आवंटित करते हुए पदोन्नति प्रदान की गई है तो अपीलार्थी सुदर्शन तिवाड़ी व संपतराम को दिनांक 01.04.2012 व अपीलार्थी निजामुद्दीन को दिनांक 01.04.2010 से भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत माना जाना चाहिए। यह हो सकता है कि विभागीय पंचायत समिति की बैठक देरी से आयोजित किये जाने के कारण उन्होंने इस पद पर कार्यभार आदेश जारी होने के उपरांत कार्यभार ग्रहण किया हो, चूंकि उन्हें क्रमशः वर्ष 2012–13 एवं 2010–11 आवंटित किया गया है। अतः उनके अनुभव की गणना 1 अप्रैल से की जानी चाहिए और उसी के अनुरूप उनका नाम वरिष्ठता सूची में यथोचित स्थान पर रखा जाना चाहिए।

11. परिणाम स्वरूप अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य हैं, जिन्हें स्वीकार किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते है कि वे भू–अभिलेख निरीक्षको की दिनांक 07.11.2013 की वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी सुदर्शन तिवाड़ी एवं संपतराम की पदोन्नति दिनांक 01.04.2011 से तथा अपीलार्थी निजामुद्दीन की पदोन्नति दिनांक 01.04.2010 से मानते हुये उसी के अनुरूप उनके अनुभव की गणना करें तथा यथोचित स्थान पर भू अभिलेख निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची उन्हें स्थान दें। यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थीगण से कनिष्ठ किन्ही भू अभिलेख निरीक्षकों को यदि नायब तहसीलदार के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है, तो अपीलार्थी को उसी पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाये।

12. मूल आदेश अपील संख्या 1676/2016 में संलग्न किया जाकर शेष अपील संख्या 1145/2016 एवं 1144/2016 में आदेश की फोटो प्रति संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)